कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्याः 971/ 20 – जे.ए. (नामिका अधि०) /2026 दिनांकः 13 अप्रैल, 2026

विज्ञप्ति

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या 01/ना.व. –L/XXXVI-A-1/2026-01 ना.व.A/2026 दिनांक 23 मार्च, 2026 के कम में सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त 09 पदों के सापेक्ष 09 नामिक अधिवक्ताओं के आबद्धीकरण हेतु (01 पद हेतु न्यूतम तीन विधि व्यवसायियों के पैनल के मानक का पालन करते हुए) विधि परामर्शी निर्देशिका के अध्याय–8.02 के अन्तर्गत नामिका अधिवक्ताओं के आबद्धीकरण (फौजदारी) के रूप में आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के जनपद नैनीताल में रिक्तियों/मांग के विवरणानुसार इच्छुक एवं योग्य अधिवक्ता, जिनका कम से कम विधि व्यवसाय में (फौजदारी मामलों) पॉच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो, के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

जनपद	वर्तमान मांग / रिक्तियां
नैनीताल	09 (नौ)

1. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई होगी तथा किसी पूर्व सूचना के राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिवक्ता को बिना पूर्व सूचना दिये समाप्त की जा सकती है। ऐसे नामिका अधिवक्ता को न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रचारित फीस देय होगी।
2. नामिका अधिवक्ता के लिये ऐसे अधिवक्ता पात्र नहीं होंगे जो राज्य सरकार के द्वारा नोटरी या शासकीय आदाता पदों पर नियुक्त किये गये हों। यदि ऐसे पदधारक अधिवक्ता के द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसको इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया जाना होगा कि इस आबद्धता पर नियुक्त किये जाने से पूर्व वह पूर्व धारित पद को त्याग देंगे ।
3. अतः ऐसे सभी सुयोग्य अधिवक्ताओं को, जो उक्त प्रकार की योग्यता रखते हों अपने आवेदन पत्र निम्न प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित प्रमाण पत्रों सहित जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल में **विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से 20 दिवस** के अन्दर जमा कर दें। आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नानुसार है:–

आवेदन का प्रारूप

भाग–क

अभ्यर्थी का नवीनतम रंगीन छायाचित्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम..
3. पूरा पता..
4. (क) स्थायी पता..
5. (ख) पत्र व्यवहार का पता..
6. जन्म तिथि (हाई स्कूल के प्रमाण–पत्र के अनुसार .)..
7. जाति /उपजाति..
8. अधिवक्ता बनने की तिथि/रजिस्ट्रेशन संख्या सहित..
9. वकालत प्रारम्भ करने की तिथि..
10. किन–किन न्यायालयों में वकालत की तथा उसकी कार्यवधि का विवरण..................................

11. किस–किस कानून में वकालत हेतु विशेष योग्यता प्राप्त है:–

12. आयकरदाता है अथवा नहीं, यदि हाँ तो पिछले तीन वर्षो के आयकर रिटर्न प्रस्तुत करें।

13. हिन्दी में प्राप्त योग्यता...

नोट:– क्रमांक 4, 5, 6, 7 व 10 की पुष्टि के लिये प्रमाण संलग्न किये जायें ।

(भाग – ख)

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अन्य अभिलेख :–

1. विधि परामर्शी निर्देशिका के नियम– 3 के अनुसार प्रपत्र – 9(क) पर संचालित मुकदमों, अपीलों एवं पुनरीक्षण का विगत 02 वर्षो का सत्यापित विवरण ।
2. गत 03 वर्षों की आयकर विवरणी, यदि आयकर न दिया हो, तो प्रस्तुत विवरणी, यदि कोई हों ।
3. यदि इससे पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता/अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अथवा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता/नामिका अधिवक्ता (फौजदारी) के रूप में कार्य किया गया हो, तो प्रमाण–पत्र ।
4. गत 02 वर्षो के दौरान किये गये फौजदारी विधि कार्य का न्यायालय यथाविधि सत्यापित ब्यौरा–
5. स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख ।

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(ललित मोहन रयाल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. नोटिस बोर्ड, जिला कार्यालय, नैनीताल/जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल/आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, नैनीताल/रामनगर/हल्द्वानी/समस्त उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार, जनपद नैनीताल।
2. अध्यक्ष, बार ऐसोसियेशन, नैनीताल/हल्द्वानी/रामनगर ।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर/बागेश्वर/चम्पावत ।
4. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की Website Ninital.nic.in में अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।
6. संयुक्त निदेशक (विधि) नैनीताल।

<u>प्रतिलिपि</u> प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को पत्र दिनांक 23 मार्च, 2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
नैनीताल